राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

कमांक–प. 6(2) साप्र/3/81 जयपुर, दिनांक 16 JUN 2015

–:आज्ञा:–

विषयः– कर्मचारियों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिये जाने बाबत ।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.3.2013 के द्वारा वर्तमान मे राज्य कर्मचारियों को दी जा रही वर्दी की दर निम्नानुसार निर्धारित है :–

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान दरें
1.	नर्स (नर्सिंग स्टॉफ)	₹ 2250/-
2.	सचिवालय के जमादार	₹ 2250/-
3.	अन्य विभागों के जमादार	₹ 1800/-
4.	ड्राइवर	₹ 1800/-
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	₹ 1650/-
6.	महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	₹ 1950/-
7.	तकनीकी कर्मचारी	₹1650/-

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015–16 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार उक्त कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ते का नगद भुगतान किया जावेगा।

1. वर्दी व्यय का भुगतान कुछ विभागों में Object head-37 वर्दी तथा अन्य सुविधायें और कुछ विभागों द्वारा 05–कार्यालय व्यय से किया जा रहा है अतः वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विभागों को वर्दी हेतु जिस मद में प्रावधान किया गया है उसी मद से वर्दी भत्ते की राशि का व्यय किया जावे तथा वर्ष 2016–17 से सभी विभाग इस संबंध मे Object head-37 वर्दी तथा अन्य सुविधायें के अन्तर्गत उपयुक्त प्रावधान करावें ।
2. संबंधित विभाग द्वारा वर्दी भत्ते का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार संबंधित बजट मद में राशि प्राप्त होते ही यथाशीघ्र किया जावेगा।

यह आज्ञा वित्त (व्यय–2) विभाग की आई0डी0 सं. 101501901 दिनांक 08.06.2015 द्वारा प्रदान की गयी सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल/सचिव, मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव (निजी सचिव), मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
5. महालेखाकार, राजस्थान–जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्षगण (संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर सहित), राजस्थान।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
10. उप शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. रजिस्ट्रार, जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, सेल्सटैक्स ट्रिब्यूनल, अजमेर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

16/6/2015
(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव